न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 185/2023

राकेश कुमार पुत्र श्री राजाराम उम्र 31 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री आर.पी. खुडियाल – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–08.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 8 डी बडी, पटवार हल्का मदेरा, भू० अभि0 निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/52, मुरब्बा नम्बर 2 के कुल 2.328 हेक्टेयर रकबा में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात है, जमाबंदी संवत 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी का सही नाम राकेश कुमार है जिसके सम्बंध में सरपंच ग्राम पंचायत मदेरां ने अपने लैटर हैड पर प्रमाण पत्र लिखकर दिया है कि राकेश कुमार एवं राकेश एक ही व्यक्ति है, दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है, असल प्रमाण पत्र संलग्न है । प्रार्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड बने हुए है जिनमें प्रार्थी का नाम राकेश कुमार दर्ज है जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न है, इस प्रकार प्रार्थी का वास्तविक नाम राकेश कुमार है मगर राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारी माल की लिपिकीय भूल के कारण सहवन से राकेश दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राकेश दर्ज होने के कारण प्रार्थी को हर कार्य में भारी परेशानी आ रही है, अतः प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती की जानी न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से गत सप्ताह सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड में राकेश के स्थान पर राकेश कुमार दर्ज करने का आग्रह किया मगर अप्रार्थी से स्पष्ट कहा कि श्रीमान न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम की दुरूस्ती की जा सकेगी, अतः यही वाद हेतुक है । प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं [illegible] शुल्क पर प्रस्तुत है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से विनम्र [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में जहां–जहां प्रार्थी का [illegible] के स्थान पर राकेश कुमार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3003 दिनांक 05.06.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रकरण में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 8 डी बडी के खाता संख्या 57 में 1.191 है. राकेशकुमार पुत्र राजाराम जाति मेघवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निवासी मंदेरा दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 637 दिनांक 18.08.2020 में संलग्न दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राकेश दर्ज है। जिसके तहत प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। मौके पर पूछताछ करने पर बताया कि राकेश पुत्र राजाराम जाति मेघवाल व राकेशकुमार पुत्र राजाराम जाति मेघवाल एक ही व्यक्ति है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर पेश है ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2072–2075 चक 8 डी बडी, पटवार हल्का मंदेरां, भू.अ.निरीक्षक शिवपुर खाता संख्या 57/52 की प्रति, ग्राम पंचायत मंदेरां द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भी दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2072–2075 चक 8 डी बडी, पटवार हल्का मंदेरां, भू.अ.निरीक्षक शिवपुर खाता संख्या 57/52 में प्रार्थी का नाम राकेश के स्थान पर राकेश कुमार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/07/24

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner